आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख सहित

28.01.2020

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा

वाद सं0ः- R.M.A. 21/2014-15

मनभरण महतो **बनाम** बिमला महताईन एवं अन्य

आदेश

यह वाद में अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद R.E. Case No.-17/2012-13 में दिनांक–10.12.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर है।

उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिनांक–01.06.2017 को दिये गये सुलहनामा के संयुक्त आवेदन के आधार पर विचार हेतु अनुरोध किया गया है। सुलहनामा के संयुक्त आवेदन सहित अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का भी अवलोकन किया। सुलहनामा के संयुक्त आवेदन में अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद R.E. Case No.-17/2012-13 में दिनांक–10.12.2014 को पारित आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। परन्तु अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय के उक्त वाद R.E. Case No.-17/2012-13 में दिनांक–10.12.2014 को पारित आदेश के प्रतिकूल आदेश पारित करने का कोई वैधानिक औचित्य नहीं है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद R.E. Case No.-17/2012-13 में दिनांक–10.12.2014 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

Seen 15/2/2020

28/01/2020

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Scanned with CamScanner